229

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या 258/2015/XXVII(9)/स्टाम्प–17/2009
देहरादूनः दिनांक 14 अगस्त, 2015

अधिसूचना संख्या–182/2015/XXVII(9)/स्टाम्प–17/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तराखण्ड उप–निबन्धक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015'' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नक–यथोपरि।

(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–192/2015/XXVII(9)/स्टाम्प–17/2009
देहरादून :: दिनांकः 31 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल **'भारत का संविधान'** के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप–निबन्धक सेवा नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने हेतु निम्नवत् नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उप–निबन्धक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–निबन्धक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप–निबन्धक सेवा नियमावली, 2004 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. भर्ती का स्रोतः– (1) सेवा की साधारण श्रेणी में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– (क) सीधी भर्ती, आयोग के माध्यम से 65 प्रतिशत, (ख) पदोन्नति के माध्यम से– विभाग में कार्यरत स्थायी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 25 प्रतिशत, जिनकी इस रूप में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण हो चुकी हों, परन्तु विभाग में कार्यरत मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदोन्नतियां की	**5. भर्ती का स्रोतः–** (1) सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– (एक) उप–निबन्धक श्रेणी–II (क) 65 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ख) 35 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से–विभाग में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 25 प्रतिशत, जिनकी इस रूप में न्यूनतम 15 वर्ष की

जायेंगी, जो उल्लिखित अर्हकारी सेवा के साथ विधि स्नातक की योग्यता भी रखते हों:

परन्तु, यह और कि पदोन्नति इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव पदोन्नत व्यक्तियों की कुल संख्या किसी समय संवर्ग की सदस्य संख्या के 35 प्रतिशत से अधिक न हों।

टिप्पणी–पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें उच्च वेतनमान के व्यक्तियों के नाम, उनकी ज्येष्ठता–क्रम में रखे जायेंगे, उसके पश्चात अगले निम्न वेतनमान के व्यक्तियों के नाम, उनकी ज्येष्ठता–क्रम में रखे जायेंगे और यदि वेतनमान बराबर–बराबर हों, तो उनके नाम उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर रखे जायेंगे ताकि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बनी रहे।

सेवायें पूर्ण हो चुकी हों,

परन्तु यह कि विभाग में कार्यरत उन मुख्य निबन्धन लिपिकों तथा निबन्धन लिपिकों में से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पदोन्नतियॉ की जायेंगी जो उल्लिखित अर्हकारी सेवा के साथ विधि स्नातक की योग्यता भी रखते हों;

परन्तु यह और कि पदोन्नति इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव पदोन्नत व्यक्तियों की कुल संख्या किसी समय संवर्ग की सदस्य संख्या के 35 प्रतिशत से अधिक न हो।

(दो) उप–निबन्धक श्रेणी–I वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड–पे ₹ 5400 के पद पर पदोन्नति मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–निबन्धक श्रेणी–II वेतनमान ₹ 9300–34800 ग्रेड–पे ₹ 4600, में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए चयन समिति के माध्यम से 'ज्येष्ठता' के आधार पर की जायेगी।

नियम 16 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1

वर्तमान नियम

16–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

उप– निबन्धक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(क) विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अनुसार की जायेगी।

उप–निबन्धक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती ''उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति'' का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिए गए मानदण्ड के आधार पर की जायेगी:

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से संबंधित कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेना विनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ख) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 2004'' एवं ''उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003'' के आधार पर एवं पदोन्नति द्वारा किए जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 के अनुसार किया जायेगा;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी, पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा;

(घ) चयन समिति खण्ड (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थी का साक्षात्कार भी कर सकती है;

(ड.) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी;

(च) लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

उप–निबन्धक श्रेणी–II के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार की जायेगी।

नियम 17 का निरसन

4. मूल नियमावली के नियम–17 को निरसित करते हुये शेष नियमों को पुनर्सख्यांकित किया गया समझा जायेगा।

नियम 22 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम –22 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार है– वेतनमान ₹ 6,500–200–10500 यथा संशोधित वेतनमान ₹ 7450–225–11500	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार है– वेतनमान ₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4200 यथा संशोधित वेतनमान ₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4600 ग्रेड–I उप–निबन्धक के कुल सृजित पदों का तीस प्रतिशत होगा तथा पदोन्नति द्वारा ग्रेड–II से ₹

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India,"** the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 182 /2015 /XXVII (9)/ Stamp-17/2009, Dehradun:: dated: 31 July, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No. 182 /2015/XXVII(9)/ Stamp-17/2009
Dehradun: Dated: 31 July, 2015

Notification

In exercise of power conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of India,"** the Governor is pleased to made the following further amendment in the Uttarakhand Sub-Registrar Service Rules 2004:-

The Uttarakhand Sub-Registrar Service (Amendment) Rules, 2015

Short title and commencement	**1.**	**(1)**	These rules may be called Uttarakhand Sub-Registrar Service (Amendment) Rules, 2015.
		(2)	It shall come into force at once.
Amendment of rule 5	**2.**		In the Uttarakhand Sub-Registrar Service Rules, 2004, (hereinafter referred to as principal rules) for the existing rule 5 set out in column I below, the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely-

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
5. Source of recruitment— **(1)** Recruitment to the General service shall be made from the following sources— **(a)** Direct recruitment 65 percent through Commission; **(b)** By promotion—25 percent amongst the permanent clerical cadre employees, Chief Registration Clerks and Registration Clerks, who have	**5. Source of Recruitment—** **(1)** Recruitment to the various catrgories of post in the service shall be made from the following sources— **(i)** Sub-Registrar Grade-II— **(a)** 65 percent by direct recruitment through commission; **(b)** 35 percent posts by promotion – 25 percent from amongst the permanent

C:\Users\hp\Desktop\Indra\2015\Rules Draft..doc

Column -1 (continued)	Column-2 (continued)
complete 15 years minimum service as such but 10 percent additional promotions shall be made amongst from such Chief Registration Clerks and Registration Clerks of the department who hold law graduation with mentioned qualifying service :	clerical cadre employees, Chief Registration Clerks and Registration Clerks, who have complete 15 years of minimum service as such:
Provided that promotion shall be made in such a way that as far as possible the number of persons promoted in any cadre should not exceed 35% of the cadre strength.	Provided that 10 percent additional promotions from amongst such Chief Registration Clerks and Registration Clerks of the department, who hold law graduation in additional to the above mentioned qualifying service :
Note- For the purpose of promotion a combined selection list shall be prepared in which the names of the persons in higher grade shall be placed in order of seniority and after that persons of lower grade shall be placed in order of seniority and if their pay scales are equal then their names shall be placed on the basis of seniority decided on the basis of the date of their substantive appointment so that their *inter se* seniority determined.	Provided further that promotion shall be made in such a way that as far as possible the number of person promoted in any cadre should not exceed 35 percent of the total cadre strength;
	(ii) the promotion shall be made in the post of Sub-Registrar Grade I- Pay scale ₹ 15600-39100, Grade Pay ₹ 5400 From amongst substantively appointed Sub-Registrar Grade-II Pay scale ₹ 9300-34800 Grade Pay ₹ 4600, who have completed 5 years of continuous service on the first day of the year of recruitment through selection committee on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

Amendment of rule 16 **3.** In the principal rule, the rule 16 set out in column 1 below, the rules as set out in column 2 shall be substituted; namely--

Column -1 Existing Rule	Column-2 rule as hereby substituted
16.Procedure for recruitment by promotion	**16. Procedure for recruitment by promotion**
Recruitment by promotion to the posts of	**(a) Procedure of recruitment by promotion**

Sub-Registrar shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit according the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand).

through the Departmental Promotion Committee --

Recruitment by promotion to the post of Sub-Registrar Grade-I shall be made on the basis of criteria fixed by duly constituted selection committee as per the provisions of the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (on Posts Outsight the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 (as amended) :

Provided that if in the so formed constituted selection committee, the person belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes is not include than, any officer of such Tribes and Classes, who has no representation in selection committee any officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government shall be nominated as the member of the Committee;

(b) promotion to the above posts shall be made on the basis of the Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004 and the Uttarakhand (on Posts Outside the Purview of Public Service Commission) Selection Eligibility Lists Rules, 2003 and selection by promotion procedure shall be made on the basis of rules. 2009;

(c) the appointing authority shall prepare an

eligible list of the candidates along with the character rolls and such other records of the candidates as may be considered necessary and place it before the selection committee;

(d) the selection committee shall consider the cases of the candidates on the basis of records referred to in clause (c) and, if it considers necessary, it may also call the candidates for interview;

(e) the selection committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as determined in the cadre from which they have been promoted and forward it to the appointing authority;

(f) procedure for recruitment by Promotion through Public Service Commission Promotion to the posts of Sub-Registrar Grade-II shall be made according the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 (as amended).

Repeal of rule 17 4. With the repealing of rule 17 of the principal rule, the rest rules shall be deemed to be re-numbered.

Amendment of rule 22 5. In the principal rule for the sub-rule (2) of rule 22 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely--

Column -1 **Existing rule**	**Column-2** **rule as hereby substituted**
(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as	**(2)** The scales of pay at the time of commencement of these rules are as

follow- pay scale ₹ 6500-200-10500 Amended pay scale ₹ 7450-225-11500.	follows— pay Scale ₹ 9300-34800 Grade pay ₹ 4200 Amended pay Scale ₹ 9300-34800 Grade pay ₹ 4600 Sub- Registrar, Grade I, shall be thirty percent of the total sanctioned posts of Sub-Registrar and by promotion from Grade II, the pay scale will be ₹15600-39100, Grade pay ₹ 5400. The initial pay scale of Sub-Registrar will be ₹ 9300-34800, Grade Pay, ₹ 4600. The posting of Grade 1, which will be thirty percent of the total posts of Sub- Registrar will be appointed by the head of the department on the basis of necessity and administrative ground.

Amendment of Appendix **6.** In the principal rule, the Appendix as set out in column 1 below, the appendix as set out in column-2 shall be substituted; namely--

Column-1
The Uttarakhand Sub-Registrar Service Rules, 2004

S. NO.	Name of post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Sub-registrar	33	-	33

Column-2
The Uttarakhand Sub-Registrar Service Rules, 2004

S. NO.	Name of post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Sub-registrar Grade-II	49	-	49

By Order,

(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.